

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या—25/2020

1. जगरनाथ साहु

2. अक्षय कुमार सिंह याचिकाकर्त्तागण
बनाम्

झारखण्ड राज्य विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्तागण के लिए: श्री केओएस० नन्दा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री रंजीत कमार, ए०पी०पी०।

02 / 15.01.2020 श्री केओएस० नन्दा, याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री रंजीत कुमार, राज्य के लिए विद्वान ए०पी०पी० को सुना।

याचिकाकर्त्ताओं को कामदारा थाना काण्ड संख्या 56/2019 के सम्बन्ध में अभियुक्त बनाया गया है।

सूचना मिली कि पी०एल०एफ०आई० चरमपंथियों ने स्वर्गीय संजय सिंह के क्षेत्र में एक फ्लैग और पोस्टर लगाया था। पुलिस ने झंडे और पोस्टर को हटा दिया था और पूछताछ पर पता चला था कि चरमपंथी ग्रामीणों से लेवी की मांग कर रहे थे। याचिकाकर्त्ताओं ने कबूल किया है और यह उनके निहितार्थ का एक कारण था। याचिकाकर्त्ता 07.11.2019 से हिरासत में हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ताओं को 10,000/- (दस हजार रुपये) के जमानत बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर,

विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गुमला की संतुष्टि पर, कामदारा थाना
काण्ड संख्या 56/2019 के संबंध में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह०

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)